पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन संबंधी
अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (अप्रैल 2024 से सितंबर 2024)

<table>
<tr><td>1.</td><td>परियोजना का नाम</td><td>तीस्ता लो डैम - III पावर स्टेशन (132 मेगावाट)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>परियोजना का प्रकार</td><td>जलविद्युत परियोजना</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>स्वीकृति पत्र- कार्यालय ज्ञापन संख्या व तारीख
क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति
ख) वन संबंधी स्वीकृति</td><td>क) पत्र संख्या: J-12011/44/2002-IA-I दिनांक 16.07.2003
ख) वन भूमि का ब्यौरा:<table><tr><td>MOEF पत्र संख्या.</td><td>दिनांक</td><td>वन भूमि (ha)</td></tr><tr><td>F.No. 8-34/2003-FC</td><td>07.04.2004</td><td>302.49</td></tr><tr><td>F.No.5-WBB033/2009-BHU</td><td>03.03.2010</td><td>7.595</td></tr><tr><td>F.No.5-WBCO23/2010-BHU</td><td>02.06.2011</td><td>1.7154</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>स्थान
क) जिला
ख) राज्य
ग) अक्षांश
घ) देशांतर</td><td>दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल
27° 00' 00'' उत्तर
88° 27' 30'' पूर्व</td></tr>
<tr><td>5</td><td>पत्र व्यवहार का पता :
क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और दूरभाष/फेक्स नम्बर सहित)

ख)निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और दूरभाष/फैक्स नम्बर सहित)</td><td>समूह महाप्रबंधक (विद्युत) ,
तीस्ता लो डैम - III पावर स्टेशन,
एनएचपीसी लिमिटेड., रामबी , पोस्ट ऑफिस - रियांग,
जिला- दार्जेलिंग, (पश्चिम बंगाल) – 734321
दूरभाष: 03552 – 261006

कार्यपालक निदेशक
(पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग),
निगम मुख्यालय, एनएचपीसी लिमिटेड,
सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003
दूरभाष : 0129 – 2254038
ई-मेल : envdivmgn-co@nhpc.nic.in</td></tr>
<tr><td>6</td><td>पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण</td><td>पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण अनुलग्नक – I में सूचीबद्ध है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण)
क) वन भूमि</td><td><table><tr><td>(i) जलमग्न क्षेत्र के लिए वन भूमि</td><td>: 172.90 हेक्टेयर</td></tr><tr><td>(ii) परियोजना के अन्य गतिविधियों के लिए वन भूमि</td><td>: 138.90 हेक्टेयर</td></tr><tr><td>क) कुल अधिगृहीत वन भूमि (i + ii)</td><td>: 311.80 हेक्टेयर</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>ख) अन्य (गैर-वन भूमि)</td><td><table>
<tr><td>ख) सौंपी गई अस्थाई वन भूमि</td><td>: 37.002 हेक्टेयर</td></tr>
<tr><td>उपयोग में कुल वन भूमि (क – ख)</td><td>: 274.80 हेक्टेयर</td></tr>
<tr><td>ग) गैर-वन क्षेत्र (सरकारी भूमि)</td><td>: 25.70 हेक्टेयर</td></tr>
<tr><td>कुल भूमि (क – ख + ग)</td><td>: 300.50 हेक्टेयर</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण।
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ आदिवासी/ अन्य</td><td>परियोजना से प्रभावित परिवारों का विवरण :<table>
<tr><td rowspan="3">1</td><td colspan="2">कुल 9 परिवार अपने घर से वंचित हुए (पूर्णरूप से प्रभावित परिवार)।</td></tr>
<tr><td>अनुसूचित जाति/जनजाति</td><td>2</td></tr>
<tr><td>अन्य</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td colspan="2">कुल 27 परिवार कृषि भूमि से वंचित हुए:</td></tr>
<tr><td>अनुसूचित जाति/जनजाति</td><td>11</td></tr>
<tr><td>अन्य</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td colspan="2">इसके अलवा, घोषित परियोजना प्रभावित परिवार : 84</td></tr>
<tr><td>अनुसूचित जाति/जनजाति</td><td>5</td></tr>
<tr><td>अन्य</td><td>79</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9</td><td>वित्तीय ब्यौरा:
क) परियोजना की लागत, जैसे कि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष।
ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च।
ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए आवंटन व पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च।</td><td>क) डीपीआर के अनुसार परियोजना की लागत: रु 768.92 करोड़ रुपए (दिसम्बर 2002 PL) (CCEA द्वारा पारित)।
ख) परियोजना पर वास्तविक खर्च: रु 1917.45 करोड़ रुपए (संशोधित समापन लागत)
ग) ईएमपी के लिए निर्धारित राशि: रु 1773.71 लाख रुपए (दिसम्बर 2002 मूल्य स्तर) CCEA द्वारा आर एंड आर योजना सहित अनुमोदित लागत
घ) EMP पर कुल खर्च: रु 9289.95 लाख रुपए (विस्तृत विवरण अनुलग्नक I के रूप में संलग्नित)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>वन भूमि की आवश्यकताएं:
क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति ।
ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति।</td><td>क) 302.49 हेक्टेयर, 7.595 हेक्टेयर एवं 1.7154 हेक्टेयर वन भूमि को क्रमशः पत्र दिनांक 07.04.2004, 02.06.2011 एवं 03.03.2010 के माध्यम से अपवर्तित किया गया।
ख) अपवर्तित वन क्षेत्र में लगे पेड़ों को पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार काट दिया गया है।</td></tr>
</table>

11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और / अथवा आयोजना की गई)। ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और/अथवा आयोजना की गई)	क) 01.05.2004 ख) 19.05.2013
12	यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है तो विलम्ब के कारण बताएँ :	लागू नहीं ।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	क) मल्टीडिस्पिलनरी मानीटरिंग समिति की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं एवं दसवीं बैठक क्रमशः दिनांक 10.08.2005, 13-14.04.2006, 15-16.01.2008, 11-12.12.2008, 20.4.2010, 22.9.2011, 12.9.2015 15.1.2018, 25.11.2019 तथा 18.06.2021 (ऑनलाइन) को संपन्न हुई । ख) उप-निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर ने ईएमसी सदस्यों के साथ परियोजना का दौरा दिनांक 15.01.2018 को किया। साइंटिस्ट 'बी', पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा दिनांक 25.11.2019 को ईएमसी बैठक के दौरान परियोजना का दौरा किया गया था।
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति अनुलग्नक-II में प्रस्तुत है।

अनुलग्नक-I

तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी)
पर किए गए आवंटन बनाम व्यय का विवरण

(सितंबर 2024 तक)

क्रम संख्या	पर्यावरण प्रबंध योजना	ईएमपी में प्रावधान (रुपये लाख मे) (अगस्त 2003 मूल्य स्तर)	संशोधित निर्माण पूर्ण लागत (जून 2013 मूल्य स्तर) (रुपये लाख मे)	खर्च (रुपये लाख मे)
1	क्षतिपूरक वनरोपण योजना	614.70	565.16	565.16
2	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	479.43	914.29	914.29
3	वन्यजीव प्रबंधन योजना	40.00	40.00	37.00
4	हरित पट्टी योजना	18.51	47.00	52.36
5	डम्पिंग-क्षेत्रों की पुनरुद्धार योजना	83.33	29.13	27.33
6	खदान स्थलों का पुनरुद्धार योजना	7.96	17.50	15.83
7	जलाशय रिम उपचार योजना	125	3665.03	3219.28
8	मुफ्त ईंधन का प्रावधान*	11.68	0.00	0.00
9	स्वास्थ प्रबंधन योजना *	40.00	0.87	0.87
10	वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना	2.00	2.31	12.61
11	जल गुणवत्ता प्रबंधन योजना	2.00	8.00	
12	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना*	46.08	9.00	3.49
13	भूनिर्माण व सौंदर्यकर्ण योजना	8.14	12.00	10.39
14	क्षेत्र का सामाजिक व आर्थिक उत्थान	81.40	261.36	840.40
15	आपदा प्रबंधन योजना	61.21	25.00	107.20
16	पर्यावरण की निगरानी योजना व विविध व्यय	75.00	40.60	33.80
17	वन भूमि के परिवर्तन के लिए निवल प्राथमिक मूल्य (NPV)	--	1929.40	1929.40
18	पेड़ो के कटाई एवं जलाशय क्षेत्र की सफाई के लिए राशि	--	44.11	44.11
	योग (Sub-Total)	**1696.44**	**7610.76**	**7813.52**
19	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	77.27	1127.27	1476.43
	कुल योग (Total)	**1773.71**	**8738.03**	**9289.95**

* अनुबंध के अनुसार ठेकेदारों द्वारा इन मदों पर व्यय किया गया था।

अनुलग्नक-II

पर्यावरण मंजूरी पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी

क्रम स.	पर्या. स्वीकृति पत्र में निर्धारित शर्तें	तीस्ता लो डैम - III पावर स्टेशन द्वारा निर्धारित शर्तों अनुपालन
	भाग अ : विशिष्ट शर्तें	
i	2 गाँवों, गेल खोला तथा 29वीं माईल के 9 परिवार के कुल 51 व्यक्ति प्रभावित होंगे। कुल 31 व्यक्ति पूरी तरह प्रभावित हैं और 19 व्यक्ति आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। प्रभावित परिवारों को आर&आर योजना के अनुसार पुनर्वास किया जाना चाहिए और इस मंत्रालय को प्रस्तावित और प्रस्तुत करना चाहिए।	ईआईए व ईएमपी रिपोर्ट के अनुसार जलाशय निर्माण के कारण कुल 36 परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ़) की पहचान की गयी है। इनमें से 27 परिवार ऐसे है जिनकी भूमि अधिग्रहित की गयी एवं 9 परिवारों के भूमि व घर दोनों प्रभावित हुए हैं। सभी 36 परियोजना प्रभावित परिवारों को मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा, जलाशय में पानी भर जाने तथा पावर स्टेशन के संचालन को देखते हुए जलाशय के किनारे रहने वाले परिवारों के लिए, गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) द्वारा ज्ञापन, दिनांक 20.02.2014 के तहत एक मुआवजा समिति का गठन किया गया था। उपरोक्त समिति द्वारा तीस्ता नदी के दाहिने किनारे पर स्थित कुल 84 परियोजना प्रभावित परिवारों की एक सूची को तैयार किया गया था जो तीन गांवों क्रमशः 29 माइल, गेल-खोला और तीस्ता बाजार में स्थित हैं। इन परिवारों को दिये गये मुआवजे का विवरण निम्नानुसार है: - • प्रथम चरण में, 29 माइल गाँव के 13 परिवारों के लिये ₹ 106.65 लाख की राशि मंजूर की गयी। जिसमे से जिला प्रशासन एवं जीटीए की सहमति से ₹ 93.44 लाख का 11 परिवारों को वितरित किया गया है। 2 परिवारों ने समीति द्वारा निर्धारित मुआवजा लेने में असहमति प्रदान की है। • दूसरे चरण में, ₹ 837.75 लाख की मुआवजा राशि की शेष 71 परिवारों में आबंटन के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। इसमें से ₹ 813.08 लाख का आबंटन 71 परिवारों (68 परिवारों को पूर्ण मुआवजा हालांकि 03 परिवारों को 50% मुआवजा) को जिला प्रशासन एवं जीटीए के निर्देशों के अनुसार किया जा

		चुका है। मुआवजे की शेष 50% राशि का आवंटन कुल 03 परिवारों को उनके द्वारा आवास रिक्त करने के उपरांत किया जाएगा। • उपरोक्तानुसार, कुल 84 परियोजना प्रभावित परिवारों में से, 79 परिवारों को पूर्ण मुआवजा एवं 03 परिवारों को 50% मुआवजा राशि का वितरण पूर्ण किया गया है। 02 परिवारों ने अभी तक प्रथम चरण का मुआवजा भुगतान प्राप्त नहीं किया है। • निम्नलिखित के लिए भी मुआवज़ा वितरित किया गया: (क). खदान श्रमिक: 763 (ख). राफ्टिंग प्रभावित: 115
ii	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना : अति अत्यधिक निम्नीकृत एवं अत्यधिक निम्नीकृत जलग्रहण क्षेत्र के रूप में पहचाने गए 12022.43 हेक्टेयर क्षेत्र को पांच वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए।	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के कार्यों को प्रतिपादित करने हेतु ₹ 914.29 लाख की राशि तीस्ता-III पावर स्टेशन द्वारा जारी की गयी थी। इसमें से ₹ 341.00 लाख की राशि को पश्चिम बंगाल सरकार एवं ₹ 573.29 लाख की राशि को सिक्किम सरकार के पक्ष में जमा करवाया गया। जिसमें से पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा CAT योजना के तहत ₹ 305.98 लाख, जबकि सिक्किम वन विभाग द्वारा CAT योजना के तहत ₹ 412.82 लाख का उपयोग किया गया है। पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम वन विभागों द्वारा अब तक CAT कार्यों के लिए कुल ₹ 718.8 लाख का उपयोग किया गया है। विभिन्न इंजीनियरिंग उपायों जैसे सॉसेज वॉल, क्रेट वॉल, कैच वॉटर ड्रेन्स, स्टेप्पड, प्लम वॉल, बेली बेंचिंग इत्यादि का निर्माण जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के तहत संबंधित राज्य वन विभागों द्वारा किया गया है। अनुमोदित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना कार्य योजना के अनुसार जैविक उपायों के तहत पौधरोपण और अन्य जैविक गतिविधियों को भी शुरू किया जा रहा है। संबंधित राज्य वन विभागों से CAT के शेष कार्यों को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु परियोजना द्वारा अनुरोध किया गया है।
iii	जैव विविधता संरक्षण योजना: बैराज के पास प्रस्तावित आर्किडेरियम में दुर्लभ ऑर्किड जिनके जलमग्न होने की संभावना है, उनके संरक्षण के लिए एक प्रावधान शामिल होना चाहिए। दुर्लभ ऑर्किड का संरक्षण प्रस्ताव के रूप में, वन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार और उत्तर बंगाल	दार्जिलिंग वन विभाग द्वारा टीएलडी-III पावर स्टेशन के समीप एक 6 हेक्टेयर का आर्किडगृह एवं आर्बोरेटम, रियांग ब्लॉक में विकसित किया गया है। आसपास के क्षेत्र से उपलब्ध विभिन्न ऑर्किड की प्रजातियों को एकत्र कर, संरक्षण के लिए इस आर्किडगृह में वन विभाग तथा पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय के सहयोग से लगाया गया। इस संबंध में ₹58.45 लाख की राशि को टीएलडी-III एवं

	विश्वविद्यालय के साथ परामर्श में किया जाना चाहिए।	टीएलडी-IV पावर स्टेशनों द्वारा संयुक्त रूप से पश्चिम बंगाल वन विभाग को भुगतान किया गया । इसमें से दार्जिलिंग वन विभाग द्वारा ₹ 30 लाख का उपयोग किया जा चुका है । संबंधित राज्य वन विभाग से शेष कार्यों को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु परियोजना द्वारा अनुरोध किया गया है।
iv	परिवेशी वायु गुणवत्ता, शोर की गुणवत्ता, भूजल की गुणवत्ता, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग और सतह के पानी की कोलीफॉर्म गणना के बुनियादी आंकड़ों की समय-समय पर निगरानी एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।	WBPCB अनुमोदित प्रयोगशालाओं के माध्यम से परियोजना द्वारा समय-समय पर मापदंडों की निगरानी की जा रही है।
	भाग ब - सामान्य शर्तें:	
i	निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों के लिए परियोजना लागत पर पर्याप्त नि:शुल्क ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वृक्षों की अवैध कटाई को रोका जा सके।	सितंबर, 2013 से परियोजना प्रचालन चरण में है । सभी प्रमुख निर्माण कार्यों को पूरा किया जा चुका है व अब कोई श्रमिक परियोजना मे स्थाई रूप से निवास नहीं करता है। तथापि, निर्माण चरण के दौरान ईंधन व्यवस्था से संबंधित शर्त का विधिवत पालन किया गया था।
ii	ईंधन (मिट्टी का तेल/लकड़ी/एलपीजी) मुहैया करने के लिए स्थल पर ईंधन भंडार खोला जाना चाहिए। श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं दी जानी चाहिएं।	परियोजना 2013 में कमीशन की जा चुकी है । कोई श्रमिक परियोजना मे स्थाई रूप से नहीं रहते हैं। परियोजना डिस्पेंसरी द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के साथ अन्य सभी को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
iii	निर्माण-कार्यों में लगाए जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा पूरी जांच की जानी चाहिए और उन्हें कार्य करने की अनुमति देने से पहले उनका पर्याप्त रूप से उपचार किया जाना चाहिए।	परियोजना 2013 से कमीशन है इस लिए प्रोजेक्ट साइट पर कोई श्रमिक निवास नहीं करते है। हालांकि, निर्माण चरण के दौरान कार्य स्थल पर लगे श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ दिया गया था। प्रोजेक्ट डिपेंसरी द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ-स्थानीय मजदूरों को भी मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाता रहा है । वर्तमान में एनएचपीसी द्वारा संचालित परियोजना डिस्पेंसरी में स्थानीय ग्रामीणों के साथ-साथ मजदूरों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। परियोजना क्षेत्र में एवं उसके आसपास रहने वाले लोगों को सुगम चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु परियोजना द्वारा नियमित आधार पर नि:शुल्क चिकित्सा जांच शिविर, टीकाकरण शिविर एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आसपास के गांवों के सभी जरूरतमंदों को ओपीडी से नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। डिस्पेंसरी रोगियों की दिन की देखभाल के लिए 4 बिस्तरों के साथ ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं चलाती है। मरीजों के लिए पूरी तरह से सुसज्जित

		एम्बुलेंस सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं। प्रसवपूर्व मामलों (गर्भवती महिलाओं) में मां और बच्चे के स्वास्थ्य की जांच के लिए औषधालय भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। टीएलडी-IIIपीएस के आदर्श गांव देवराली में ओपीडी नियमित रूप से मुफ्त दवाओं के साथ आयोजित की जाती है। इसके अलावा, स्थानीय लोगों के समग्र सुधार के लिए परियोजना द्वारा रामबी में स्थित स्थानीय सरकारी पीएचसी को चिकित्सा उपकरण और एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवाया गया है ।
iv	मलबा फैंकने के स्थल को समतल बनाकर, गड्ढों को भरकर और दृश्यभूमि आदि के द्वारा निर्माण-क्षेत्र का पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में उपयुक्त रोपण द्वारा वनरोपण किया जाना चाहिए।	निर्माण एवं खुदाई के दौरान उत्पन्न मलबे को निर्दिष्ट निपटान क्षेत्र पर एकत्रित किया गया था। मलबा निपटान एवं पुनर्स्थापन योजना के अनुसार, निपटान क्षेत्रों में मलबे को फैलने से रोकने के लिए, आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। निपटान स्थलों पर स्थानीय प्रजातियों की झाड़ियों और पेड़ों के रोपण द्वारा जैविक उपाय भी किए गए हें।
v	ऊपर सुझाए गए उपायों को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।	सुझाए गए उपरोक्त उपायों को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान रखा गया ।
vi	सुझाए गए रक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए वनविद्या, पारिस्थितिकी, वन्य जीव, मृदा संरक्षण की विभिन्न विधाओं व गैर-सरकारी संगठन आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक बहुविधा समिति गठित की जानी चाहिए।	दिनांक 31.05.2005 को बहु-विषयक निगरानी समिति गठित की गयी थी। बहुविषयक निगरानी समिति की 10वीं बैठक 18.06.2021 को आयोजित की गई। समिति द्वारा पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के साथ पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।
vii	छमाही मानीटरिंग रिपोर्टें समीक्षा के लिए मंत्रालय ओर चंडीगढ़ स्थित उसके क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।	पर्यावरण व वन मंत्रालय को नियमित रूप से छह मासिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। पिछली छह मासिक रिपोर्ट पत्र संख्या एनएच/पर्या./95/712 दिनांक 24.04.2024 के माध्यम से ईमेल आईडी: iro.kolkata-mefcc@gov.in एवं yogendra78@nic.in पर प्रस्तुत की गई थी।

नोट: यह रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजे गए अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ को ही अंतिम माना जाएगा।

****